न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 पुनर्विलोकन रिव्यू 1540-I/14

19/5/14

राजेन्द्र जाट पुत्र रमेश चन्द्र जाट
निवासी ग्राम बमूली गुसाई हाल निवासी
बडौदा रोड श्योपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)
.... आवेदक

विरूद्ध

बल्ला पुत्र नारायण
निवासीग्राम बमूली गुसाई तहसील व जिला
श्योपुर (म.प्र.)
.... अनावेदक

मुकेश भार्गव
19-5-14 एडवोकेट
ग्वालियर

<u>माननीय सदस्य श्री मनोज गोयल राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्र.कं. 1201–II/2010 में पारित आदेश दिनांक 10.4.14 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1540–एक/2014 — जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–03–2016	आवेदक अधिवक्तागण को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1201–दो/2010 में पारित आदेश दिनांक 10–04–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	